राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 922/2023

राजकुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.02.2023
आदेश की दिनांक : 01.03.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश कुमार मीणा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर ईटावा भोपजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईटावा भोपजी, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन सी.बी.ई.ओ. जमवारामगढ़ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटिका, जयपुर किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.12.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर डी.पी.सी. आयोजित कर पदोन्नति प्रदान की गई और उसे पदोन्नति उपरांत रामगढ़, अलवर से सी.बी.ई.ओ., जमवारामगढ़, जयपुर पदस्थापित किया गया तथा आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को रा.उ.मा.वि., वाटिका, जयपुर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के लिए पहुंचा तो उक्त विद्यालय में पहले से ही श्री कौशल मीणा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत था और उक्त विद्यालय अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का एक ही पद है। इसलिए

इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त विद्यालय में कार्यग्रहण नहीं करवाया गया। उनका कथन है कि 25 दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी को श्री हरि नारायण मीणा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहन नगर, करौली को समायोजित करने के उद्देश्य से अपीलार्थी का स्थानान्तरण वाटिका, जयपुर किया गया। उनका यह भी कथन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ़, जयपुर में अभी भी रिक्त पद है। प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो वहां पर अपीलार्थी का पदस्थापन कर सकता है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आदेश दिनांक 08.12.2022 (अनुलग्नक–1) एवं आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–3) के अनुसार रिक्त पद नहीं होने से अपीलार्थी का अन्य रिक्त पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्दगढ़, जयपुर में प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी का पदस्थापन 7 दिवस के अंदर करने का आदेश पारित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर ईटावा भोपजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईटावा भोपजी, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer*

orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

जहां तक अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का रिक्त पद न होने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वाटिका, जयपुर के आदेश दिनांक 28.02.2023 के अवलोनक से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.02.2023 तक उक्त विद्यालय में उपस्थिति नहीं दी गई। जबकि उक्त विद्यालय में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद रिक्त है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य